[2020] 4 उम. नि. प. 179

भागवत शरण (मृत) मार्फत विधिक प्रतिनिधिगण

बनाम

पुरुषोत्तम और अन्य

[2008 की सिविल अपील सं. 6875, 6876 और 6877]

3 अप्रैल, 2020

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [सपठित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6, 30 और हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 19, 21 तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2(31) और 171] – अपील – संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब – ऐसे कुटुम्ब की संपत्ति का विभाजन – संपत्ति का संयुक्त नहीं होने का अभिवाक् – संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के अस्तित्व पर आक्षेप – यदि अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित कर दिया जाता है कि कोई कुटुम्ब, संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब कभी भी नहीं रहा है तो ऐसे कुटुम्ब द्वारा अर्जित संपत्ति, संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब की नहीं हो सकती है और ऐसी संपत्तियों का बंटवारा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब को शासित करने वाली विधि के अनुसार नहीं हो सकता है ।

वर्तमान मामले में, मंगत राम, ग्राम-नारनौल, राजस्थान का निवासी था । उसके चार पुत्र अर्थात् माधव प्रसाद, लाल चंद, राम चंद और उमराव लाल थे । राम चंद को ग्वालियर के श्रीगौरी मल द्वारा दत्तक लिया गया था । लाल चंद के चार पुत्र अर्थात् श्री राम, हरि राम, गोविन्द और लक्ष्मी नारायण थे । माधव प्रसाद की कोई संतान नहीं थी । इसलिए, उसने लाल चंद के पुत्र हरि राम को दत्तक लिया था । लाल चंद की भी कोई संतान नहीं थी और उसने लाल चंद के पुत्र श्रीराम को दत्तक लिया था । पक्षकारों का यह स्वीकृत पक्षकथन है कि दोनों राम चंद और लाल चंद के कुटुम्ब के साथ संबंध थे और कुटुम्ब की

संपत्ति के साथ कोई संबंध नहीं थे । मंगत राम के कुटुम्ब में यह दो शाखाएं बची थीं । एक माधव प्रसाद और उसके वंशज उसके पुत्र हरि राम के माध्यम से और दूसरी शाखा उमराव लाल और उसके तीन पुत्रों अर्थात् बृज मोहन, रामेश्वर और राधा कृशन से थी । वादी भगवत शरण जिसने वाद फाइल किया था वह राधा कृशन का पुत्र और उमराव लाल का पौत्र था । उपर्युक्त तथ्य विवादित नहीं हैं । पक्षकारों ने यह भी स्वीकार किया है कि माधव प्रसाद अपने पैतृक गांव चला गया था और वाद फाइल करने के लगभग 70 वर्ष पूर्व अशोक नगर आ गया था । वाद, वर्ष 1988 में फाइल किया गया था । इस प्रकार, माधव प्रसाद लगभग वर्ष 1918 या उसके आस-पास चला गया था । यह भी विवादित नहीं है कि माधव प्रसाद ने तत्कालीन उस क्षेत्र के जमींदार के मुंशी के रूप में कार्य करना आरंभ किया था और इसके पश्चात् वह मुंशी माधव प्रसाद के रूप में जाना जाने लगा । विवाद, आधारभूत तौर पर इसके पश्चात् ही आरंभ हुआ था । वादी ने यह दावा किया है कि उसके दादा उमराव लाल भी लगभग उसी समय अशोक नगर आ गए थे और अनाज का कारबार करना आरंभ किया था । इसके पश्चात्, माधव प्रसाद ने मुंशी का कार्य छोड़ दिया और दोनों भाइयों ने एक दुकान 'मुंशी माधव प्रसाद' के नाम में स्थापित करके अनाज का कारबार आरंभ कर दिया था । वादी का पक्षकथन यह भी है कि दोनों माधव प्रसाद और उमराव लाल एक साथ रहते थे और संयुक्त तौर पर कारबार कर रहे थे और वादपत्र के पैरा 9 में वर्णित कतिपय संपत्तियों का क्रय भी किया था । छह विभिन्न गृहों में समाविष्ट छह संपत्तियां थीं । विभिन्न गांवों में कतिपय कृषि भूमियों में समाविष्ट पैरा 9(2) पर संपत्तियां उल्लिखित हैं । वादी का पक्षकथन यह है कि ये सभी गृह संयुक्त तौर पर माधव प्रसाद और उमराव लाल द्वारा निर्मित की गई थीं और माधव प्रसाद बड़ा भाई होने के नाते उस कुटुम्ब का कर्ता था और इस हैसियत में संयुक्त कुटुम्ब को चला रहा था । वादपत्र में यह भी अभिकथित है कि माधव प्रसाद ने कर्ता होने के नाते स्वयं अपने नाम में अभिलिखित संयुक्त कुटुम्ब की कुछ संपत्तियों का प्रबंधन करता था । यह भी अभिकथित है कि माधव प्रसाद और उमराव लाल की मृत्यु के पश्चात् हरि राम जो माधव प्रसाद का दत्तक पुत्र था (जिसकी मृत्यु वर्ष 1988 में वाद फाइल करने के समय में हो गई थी) संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का

कर्ता बना था और इस हैसियत में उसने संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब की संपत्तियों में से कुछ संपत्तियों को अपने नाम में अभिलिखित कराया था । यह विवादित नहीं है कि माधव प्रसाद की मृत्यु लगभग वर्ष 1935 के आस-पास हुई थी और उमराव सिंह की मृत्यु वर्ष 1941-42 के आस-पास हुई थी और हरि राम की मृत्यु वर्ष 1978 में हुई थी । कृषि भूमियों के संबंध में, यह अभिवाक् किया गया है कि ये सभी कृषि भूमियां कुटुम्ब के संयुक्त जोत के अधीन थीं और जोत का संपूर्ण लेखा, स्व. माधव प्रसाद और उमराव लाल द्वारा रखा जाता था और उनकी मृत्यु के पश्चात् हरि राम द्वारा संपूर्ण लेखा रखा जाता था । हरि राम की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा रज्जो देवी (प्रतिवादी सं. 6) ने कुटुम्ब की ओर से खेतों का देखभाल करती थी । वादपत्र में यह भी अभिकथित है कि हरि राम ने बेनामी संव्यवहार के रूप में कृषि भूमियों में से कुछ भूमियों को अपने साले, पुत्र, दामाद और अन्य नातेदारों के नाम में अंतरित की थी जो इस तथ्य से सुस्पष्ट होता है कि हरि राम के पक्ष में इन संव्यवहारों के हिताधिकारियों द्वारा साधारण मुख्तारनामा निष्पादित किया गया था । तथापि, यह तथ्य उस कुटुम्ब की शाखा से प्रकट नहीं होता है जो उमराव लाल के वंशज हैं । आधारभूत तौर पर यह अभिकथित किया गया है कि वादपत्र के पैरा 9 में उल्लिखित सभी संपत्तियां हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'एचयूएफ' कहा गया है) की थी और इसलिए, वादी ने अपने हिस्से के अनुसार माप और सीमांकन करके विभाजन की ईप्सा की है । विचारण न्यायालय ने इन सभी विवाद्यकों को वादी के पक्ष में विनिश्चित किया और वाद डिक्री करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि सभी संपत्तियां, संयुक्त कुटुम्ब की संपत्तियां हैं और यह कि वादी का उसमें 2.38 प्रतिशत हिस्सा है । विरोध करने वाले प्रतिवादियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की और उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित विभाजन की डिक्री को अपास्त कर दिया । वादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय ने विलंब की माफी, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLI के नियम 27 के अधीन फाइल आवेदन को खारिज कर दिया । अतएव, हमारे समक्ष यह अपील फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – साधारणतया, एक एचयूएफ मात्र कर्ता के रूप में कुटुम्ब के मुखिया सहित सभी कुटुम्ब सदस्यों से मिलकर गठित हो सकती है । कुछ संपत्ति, इस संयुक्त कुटुम्ब के लिए केन्द्रक हो सकते हैं । इस राय के बारे में मतभेद है कि क्या बड़े समूह के दो भाई संयुक्त कुटुम्ब गठित कर सकते हैं । किन्तु यह उपधारणा करते हुए कि ऐसा संयुक्त कुटुम्ब, माधव प्रसाद और उमराव लाल द्वारा गठित किया जा सकता था तो वादी पर यह साबित करने का भार है कि उनमें से दोनों ने एक साथ संयुक्त होकर एक एचयूएफ गठित किया है । इसे साबित करने के लिए उन्हें न केवल संपत्ति की संयुक्तता दर्शित करनी होगी अपितु कुटुम्ब की संयुक्तता और एक साथ रहने की संयुक्तता भी साबित करनी होगी । उपर्युक्त कथित तथ्यों से यह प्रकट होता है कि इस बारे में कोई अभिवाक् नहीं है कि मंगत राम और उसके पुत्रों ने एक एचयूएफ गठित किया था । इस बारे में कोई अभिकथन नहीं है कि इस कुटुम्ब के पास इसके केन्द्रक के रूप में कुछ संपत्ति थी । चूंकि, इस बारे में कोई अभिकथन नहीं है कि मंगत राम और उसके चार पुत्रों ने एक एचयूएफ गठित किया था, यह तथ्य कि लाल चंद स्वयं अलग रहने के लिए कुटुम्ब छोड़ दिया था, इसका किसी भी तरह से यह अभिप्राय नहीं होता है कि संयुक्त कुटुम्ब प्रास्थिति विघटित हो गई थी । संयुक्त कुटुम्ब का विघटन मात्र तभी होता है जब यदि यह अभिकथन किया जाता है कि पूर्ववर्ती में एक एचयूएफ अस्तित्व में थी । पक्षकारों की ओर से यह भी स्वीकृत पक्षकथन है कि माधव प्रसाद और उमराव लाल पृथक्-पृथक् अशोक नगर आए थे । माधव प्रसाद ने आरंभत: एक जमींदार के साथ मुंशी के रूप में कार्य करना आरंभ किया था । इसके पश्चात् प्रतिवादियों के अनुसार, माधव प्रसाद ने कारबार करना आरंभ कर दिया था जो उसका स्वयं का था किन्तु बाद में उसका भाई उमराव लाल भी उसके कारबार में जुड़ गया था । तथापि, यह दलील दी गई है कि यह कारबार, एचयूएफ का कारबार नहीं था । दूसरी ओर, वादी का पक्षकथन यह है कि यह उमराव लाल ही था जिसने कारबार आरंभ किया था और माधव प्रसाद उससे बाद में जुड़ा था किन्तु चूंकि माधव प्रसाद बड़ा भाई था, इसलिए, कारबार, माधव प्रसाद के नाम से आरंभ हुआ था । किसी भी प्रकार का दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है । साक्षी जो उपस्थित हुए थे उन सभी का जन्म उसके बाद हुआ था और उन्होंने संयुक्त

कारबार के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया है । वादी भगत शरण का जन्म वर्ष 1951 में हुआ था । विरोध करने वाले प्रतिवादी सं. 4 और 8 उससे 5 वर्ष और 11 वर्ष छोटे हैं । इसलिए, इन साक्षियों का मौखिक परिसाक्ष्य किसी उपयोग का नहीं है जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा सही ही अभिनिर्धारित किया गया है । वादी ने उस बंधक विलेख का मजबूती से अवलंब लिया है जिसके द्वारा पांच गृहों को तारीख 1 दिसम्बर, 1944 और तारीख 26 नवम्बर, 1946 को सेठ बुद्धमल के पक्ष में बंधक किया गया था । यह विवादित नहीं है कि अशोक नगर में छह गृह थे, कुछ एकल मंजिली थीं और कुछ द्वितीय मंजिली थी जिनका वर्णन वादपत्र में किया गया है । इन गृहों में से एक गृह का उपयोग धर्मशाला के रूप में किया जाता था और शेष पांच गृहों को बंधक विलेख (प्रदर्श पी-28) द्वारा तारीख 1 दिसम्बर, 1944 को बंधक में रखा गया था । यह बंधक विलेख, हरि राम पुत्र माधव प्रसाद और बृज मोहन, रामेश्वर दास और राधा कृशन पुत्र उमराव लाल और पोपचंद तथा बाबू लाल **उर्फ** दीप चंद जो बृज मोहन के अवयस्क पुत्र थे, द्वारा अपने पिता के माध्यम से और नाथू लाल अवयस्क पुत्र हरि राम द्वारा अपने पिता के माध्यम से निष्पादित किया गया था और उन्हें फर्म मैसर्स माधव प्रसाद अग्रवाल के स्वत्वाधिकारियों के रूप में दर्शित किया गया है । बंधक विलेख में पांच गृहों का वर्णन करने के पश्चात्, यह उल्लिखित है कि ये संपत्तियां हमारे 'स्वामित्व' और 'कब्जे' में हैं । यह भी उल्लिखित है कि संपत्तियां सभी विलंगमों से मुक्त हैं और कोई अन्य अंशधारी नहीं है और बंधकदार के पास इनका अन्यसंक्रामण करने का पूर्ण अधिकार है । तद्नुसार, पांच गृहों को सेठ बुद्धमल के पास बंधक में रखा गया था । यह बंधक, कृशन राम बलदेव बैंक के ऋण को चुकाने को ध्यान में रखते हुए किया गया था जिसके पास संपत्तियां पहले से ही बंधक थीं । रकम जिसे उन्होंने संपत्ति को बंधक रखते हुए प्राप्त किया था, बैंक को अंतरित कर दी गई थी और सेठ बुद्धमल के पक्ष में नया बंधक सृजित किया गया था । बंधक विलेख के पैरा 5 में, यह उल्लिखित किया गया है कि बंधक संपत्ति, सभी विलंगमों से मुक्त है और 'हम उसके पूर्ण स्वामी हैं और कोई अन्य सह-दायिक या सह-अंशधारी नहीं है' । यह बंधक विलेख, बंधककर्ताओं के रूप में हरि राम, बृज मोहन, रामेश्वर लाल और राधा कृशन द्वारा हस्ताक्षरित है । इससे

यह उपदर्शित होता है कि ये संपत्तियां उनके द्वारा धारित थीं । तथापि, यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि संपत्तियां, एचयूएफ से संबंधित हैं । वे संयुक्त संपत्तियां हो सकती हैं किन्तु बंधक विलेख में दिए गए विवरणों के आधार पर उन्हें संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति नहीं कहा जा सकता है । यह प्रतीत होता है कि तारीख 26 नवम्बर, 1946 के एक अन्य बंधक विलेख द्वारा बंधक संपत्तियों का मूल्य रुपए 45,000/- तक बढ़ा दिया गया था और 5 गृहों के अतिरिक्त एक ऑयल मिल, पछर का भी बंधक किया गया था । सेठ बुद्धमल ने उक्त बंधक विलेख के अधीन बंधक धन का उद्ग्रहण करने के लिए हरि राम, बृज मोहन, रामेश्वर लाल, राधा कृशन और नाथू लाल इत्यादि के विरुद्ध एक वाद (प्रदर्श पी-4) फाइल किया था । पूर्वोक्त हरि राम, बृज मोहन, रामेश्वर लाल, राधा कृशन और नाथू लाल की ओर से तारीख 9 अक्तूबर, 1955 को एक लिखित कथन (प्रदर्श पी-5) भी फाइल की गई थी और बंधक विलेख के पैरा 6 और 8 के उत्तर दिए गए थे । पूर्ववर्ती वाद में पूर्वोक्त अभिवचनों के आधार पर यह निवेदन किया गया है कि हरि राम ने यह स्वीकार किया था कि एक संयुक्त कुटुम्ब कारबार था जब यह लिखित कथन फाइल किया गया था और इसलिए, इस बात का सबूत है कि कारबार, एक संयुक्त कुटुम्ब कारबार था और यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि इस संयुक्त कुटुम्ब की प्रास्थिति कभी भी विघटित हो गई थी । विरोध करने वाले प्रत्यर्थी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि चूंकि हरि राम के कुटुम्ब सदस्य बंधक गृह में रह रहे थे, अत्यधिक सावधानी बरतते हुए, वे बंधक विलेख पर हस्ताक्षर कर सकते थे । हमारे मत में, यह सत्य नहीं हो सकता है क्योंकि बंधक विलेख से स्पष्टत: यह प्रलक्षित होता है कि सभी कुटुम्ब सदस्यों को जिनमें अवयस्क सम्मिलित थे, बंधक होने तक संपत्तियों के स्वामी दर्शित किए गए हैं, इसलिए, यह संपत्ति जो वर्ष 1944 में बंधक रखी गई थी और उसके बाद वर्ष 1946 में पुन: बंधक रखी गई, प्रथमदृष्ट्या संयुक्त संपत्ति होनी प्रतीत होती है, यद्यपि, इस प्रक्रम पर न्यायालय यह विनिश्चित नहीं करता है कि क्या संपत्ति, एक संयुक्त संपत्ति है या एचयूएफ की संपत्ति है । एक पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति मात्र साक्ष्य का एक भाग है और न कि इस बात का अनन्य सबूत है कि उसने इसमें क्या कथन किया है । इस प्रकाश में ही न्यायालय सेठ

बुद्धमल द्वारा फाइल वाद में लिखित कथन फाइल करते समय हरि राम और उसके भाइयों द्वारा की गई स्वीकृति की परीक्षा करेगा । पैरा 6 में यह प्रकथन किया गया है कि प्रतिवादियों ने व्यापार करने के लिए संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब गठित की गई है । यह सुस्पष्ट है कि स्वीकृति कुटुम्ब द्वारा व्यापार करने के संबंध हैं और न कि एचयूएफ के संबंध में है । उपर्युक्त उद्धृत विधि को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट होता है कि न केवल कुटुम्ब की संयुक्तता साबित होती है अपितु यह साबित करने के सबूत का भार उस व्यक्ति पर अंतरित हो जाता है जो संयुक्त कुटुम्ब के अस्तित्व का अभिकथन करता है, उसे यह साबित करना होता है कि संपत्ति संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब से संबंधित है जब तक कि यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर सामग्री है कि संपत्ति संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का केन्द्रक है अथवा यह कि उक्त संपत्ति इस केन्द्रक की निधियों से क्रय की गई थी । मात्र इस कारण से कि कारबार संयुक्त है, इस बात की उपधारणा नहीं की जा सकती है कि एक संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब अस्तित्व में है । जहां तक पैरा 8 का संबंध है, न्यायालय के मत में, यह स्पष्टत: स्वीकृति नहीं है । यह इस बारे में किया गया अभिकथन है कि अवयस्कों का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा किया गया था जो क्रमश: अपनी शाखाओं के मुखिया थे । इसके उत्तर में, यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 न तो मुखिया या कर्ता थे न ही बंधक संव्यवहार उनकी इस हैसियत में किए गए थे । इस स्वीकृति को संयुक्त कुटुम्ब होने के बारे में, सुस्पष्टत: स्वीकृति नहीं कहा जा सकता है । दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों द्वारा अवलंबित कई अन्य दस्तावेज हैं । 6 गृहों में से 5 गृह बंधक रखी गई थीं और एक गृह स्वीकृतत: धर्मशाला है । इन 5 गृहों में से 3 गृहों को हरि राम द्वारा अपने जीवन काल के दौरान विक्रय कर दी गई थी और वादी के पूर्वाधिकारियों के जीवन काल के दौरान किसी भी व्यक्ति ने संपत्तियों के विक्रय पर कोई आक्षेप नहीं किया था और विक्रय विलेखों में हरि राम को संपत्ति का एक मात्र स्वामी के रूप में वर्णित किया गया है । एक ऐसा ही विक्रय विलेख प्रदर्श डी-4 है जिसमें यह उल्लिखित है कि द्वितीय मंजिला गृह फर्म माधव प्रसाद अग्रवाल के व्यापार करने की संपत्ति है और यह कि हरि राम फर्म का स्वामी है और ऋण का पुन: संदाय करने के अनुक्रम में दो व्यक्तियों को गृह का विक्रय किया गया था । इस विक्रय विलेख का सेठ

बुद्धमल साक्षी था । यद्यपि, विक्रय विलेख में इस प्रकार का कथन नहीं है जिससे कि यह प्रतीत होता है कि प्रतिफल की रकम सेठ बुद्धमल को संदत्त किया गया है । यह दस्तावेज तारीख 12 सितम्बर, 1967 को निष्पादित हुआ था और अन्य दो विक्रय विलेखों के साथ इसका परिशीलन करने से स्पष्टत: उपदर्शित होता है कि हरि राम ने यह दावा किया है कि वह व्यापार करने वाले फर्म माधव प्रसाद अग्रवाल के कारबार का एकमात्र स्वत्वाधिकारी है । इन विक्रय विलेखों और इनके विवरणों को वादी या उसके पूर्वाधिकारियों द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी । इससे यह उपदर्शित होता है कि संपत्ति की संयुक्तता, यदि कोई हो, कुछ कुटुम्ब व्यवस्थापन या विभाजन के कारण समाप्त हो गई थी जो पूर्ववर्ती में घटित हो सकती थी । न्यायालय ने इसमें उपर्युक्त उद्धृत वादपत्र में किए गए प्रकथनों के साथ विक्रय विलेखों का परिशीलन किया है जिनमें वादी ने यह कथन किया है कि कारबार बंद हो गए थे और उसके बाद प्राय: सभी लोगों ने अपने पृथक्-पृथक् कारबार करना आरंभ कर दिया था । यद्यपि, यह प्रकथन किया गया है कि अचल संपत्तियां संयुक्त कुटुम्ब की संपत्तियां बनी रहीं, यह तथ्य कि पृथक् शाखाओं ने पृथक् रूप से कारबार करना आरंभ कर दिया था, से यह तथ्य उपदर्शित होता है कि यदि कुछ विभाजन नहीं भी हुए थे तो भी पक्षकारों के बीच औपचारिक विभाजन हुआ था । अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज हरि राम का विल (प्रदर्श पी-3) है । इस विल में हरि राम ने शेष 3 गृहों का सविस्तार वर्णन किया है और यह उल्लिखित किया है कि ये गृहें उसके पिता माधव प्रसाद द्वारा धारित थे और यह कि वह (हरि राम) अपने पिता मुंशी माधव प्रसाद अग्रवाल के नाम से कारबार कर रहा है । 6 गृहों में से 3 गृहों को हरि राम द्वारा पहले ही विक्रय कर दिया गया था और उसने शेष 3 गृहों का कतिपय व्यक्तियों के नाम में वसीयत कर दिया था । विल के उस भाग को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा जिसमें हरि राम ने यह कथन किया है कि उसके 3 चचेरे भाई बृज मोहन, रामेश्वर लाल और राधा कृशन थे । इनमें से राधा कृशन की मृत्यु हो गई थी और उसकी विधवा और उसके तीन बच्चे जीवित थे और वे भवन सं. 2 के द्वितीय और तृतीय तल पर रहते थे । हरि राम ने अचल संपत्ति के कतिपय भागों को राधा कृशन की विधवा और उसके बच्चों को वसीयत कर दिया था । यहां यह उल्लेख करना समुचित होगा

कि वादी भगवत शरण, राधा कृशन का पुत्र है । उसने भी कतिपय संपत्तियों का वसीयत अपने चचेरे भाई बृज मोहन और रामेश्वर लाल के पक्ष में कर दिया था । यह भी विवादित नहीं है कि इसमें के वादी और प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने एक अधिभोगी की बेदखली के वाद फाइल किया, जिसमें उसने यह दावा किया था कि संपत्ति का हरि राम द्वारा उसके पक्ष में वसीयत कर दिया है । प्रतिवादियों के अनुसार, वादी ने हरि राम के विल को स्वीकार कर लिया था और उसका फायदा भी उठा लिया था, इसलिए, उसे मुकरने नहीं दिया जा सकता है और यह तर्क दिया कि विल वैध नहीं है और यह कि संपूर्ण संपत्ति, एक संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति है । वादी और प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने विल के अधीन वसीयत को स्वीकार करते हुए, विल स्वीकार करने का चुनाव किया था । यह प्राचीन विधि है कि एक पक्षकार को एक ही समय पर स्वीकार और अस्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है । यह सिद्धांत निर्वाचन के सिद्धांत पर आधारित है । विलों के संबंध में, इस सिद्धांत का यह अभिप्राय अभिनिर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति जो विल के एक भाग का फायदा उठा लेता है तो वह विल के शेष भाग को चुनौती नहीं दे सकता है । जहां तक कृषि भूमियों का संबंध है, विचारण न्यायालय ने कृषि भूमियों के संबंध में वाद डिक्री कर दिया था, इस आधार पर कि माधव प्रसाद और उसके उमराव लाल और उनके उत्तराधिकारी एक एचयूएफ गठित करते हैं । उक्त भूमियां एचयूएफ की निधियों से क्रय की गई थी, इसलिए, इन भूमियों को एचयूएफ की संपत्ति मानी जाएंगी, यद्यपि, वे किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रविष्ट की गई हो सकती हैं । उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और यह तथ्य कि हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि एक एचयूएफ अस्तित्व में है, इसलिए, हम विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं । अब, न्यायालय प्रत्येक कृषि संपत्ति पर पृथक्तः विचार करेगा । वादपत्र के पैरा 9(2)(क) में वर्णित संपत्तियां पूर्ववर्ती में हरि राम के नाम में अभिलिखित थीं और बाद में, उसके पुत्रों पुरुषोत्तम और विनोद के नाम में अभिलिखित की गई थीं । पैरा 9(2)(ख) में उल्लिखित संपत्ति भी हरि राम के नाम में अभिलिखित थी और उसने श्रीराम को उसके जोत का अधिकार दिया था जिसे उसका स्वामी होना कथित किया गया है । इसी प्रकार, पैरा 9(2)(ग) में वर्णित भूमि भी हरि राम के नाम

में दर्शित की गई हैं और इसे अभिधृति पर काहिया लाल को दिया गया था । पैरा 9(2)(घ) में वर्णित भूमि भी हरि राम के नाम में अभिलिखित थी और इसे शिव चरण को अंतरित किया गया था और अब यह भूमि उसके विधिक उत्तराधिकारियों के नाम में है । पैरा 9(2)(ङ) में वर्णित भूमि जो हरि राम के नाम में थी, उसे भी हरि राम द्वारा वर्ष 1969 में अपनी पत्नी रज्जो देवी के नाम में अंतरित कर दिया गया था । जहां तक पैरा 9(2)(च) और 9(2)(छ) में वर्णित भूमियों का संबंध है, इन भूमियों को अशोक नगर के जमींदार से नाथू लाल पुत्र हरि राम द्वारा पट्टे पर ली गई थी । वादियों के अनुसार, ये भूमियां भी संयुक्त कुटुम्ब की भूमियां थीं किन्तु उनके बयान पर नाथू लाल के पक्ष में मंजूर पट्टा को ध्यान में रखते हुए विश्वास नहीं किया जा सकता है । यह सत्य हो सकता है कि पट्टा मंजूर करने के लिए प्रतिफल संदत्त किया गया हो सकता है किन्तु यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है कि यह संदाय, एचयूएफ की निधियों से किया गया था । यहां यह उल्लिखित करना समुचित हो सकता है कि वादियों ने यह अभिकथन किया है कि वर्ष 1951 में नाथू लाल, अवयस्क था और रकम, हरि राम द्वारा संदत्त किया गया था । तथापि, इस संबंध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है । वस्तुतः, अभिलेख पर की सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि नाथू लाल की आयु उस समय पर लगभग 21 वर्ष थी । वह निश्चित तौर पर 18 वर्ष से अधिक आयु का था और इस प्रकार, वह अवयस्क नहीं था । इन भूमियों को कभी भी माधव प्रसाद या उमराव लाल द्वारा धारित (स्वामित्व) दर्शित नहीं किया गया था । यह उल्लिखित करना भी समुचित है कि भूमियों के कतिपय भाग, कतिपय अन्य व्यक्तियों को अंतरित किए गए थे और इन अंतरणों को सुसंगत समय पर वादी द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी । यह उल्लिखित करना भी समुचित होगा कि दोनों निचले न्यायालयों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वादी यह साबित करने में असफल रहे हैं कि वे कृषि भूमि की आय से कोई लाभ प्राप्त कर रहे थे । इससे यह भी उपदर्शित होता है कि उक्त भूमि, संयुक्त नहीं थी । (पैरा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27 और 28)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2013] ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1241 :
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनिधान निगम और एक अन्य बनाम **डायमंड एंड जेम विकास निगम लि. और एक अन्य** ; 24

[2011] (2011) 15 एस. सी. सी. 273 :
हिमानी एलॉव लिमिटेड बनाम
टाटा स्टील लिमिटेड ; 20

[2010] (2010) 4 एस. सी. सी. 753 :
करम कपाही और अन्य बनाम
लाल चंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य ; 25

[2007] (2007) 1 एस. सी. सी. 521 :
अप्पासाहेब पीरप्पा चम्दागड़े बनाम
देवेन्द्र पीरप्पा चम्दागड़े ; 10

[2003] (2003) 10 एस. सी. सी. 310 :
डी. एस. लक्ष्मैया और अन्य बनाम
एल. बालसुब्रमण्यम् और अन्य ; 10

[1962] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 287 :
भगवान दयाल बनाम **रेवती देवी** ; 10

[1960] [1960] 2 एस. सी. आर. 253 :
मा. रुखमाबाई बनाम **लाला लक्ष्मीनारायण और अन्य** ; 10

[1956] [1956] 1 एस. सी. आर. 451 :
नागूबाई अम्मल और अन्य बनाम
बी. शामा राव और अन्य ; 20

[1955] [1955] 1 एस. सी. आर. 1 :
श्रीनिवास कृष्णाराव कानगो बनाम
नारायण देवजी कानगो और अन्य ; 10

[1951] [1951] 2 एस. सी. आर. 603 :
भगवती प्रसाद साह और अन्य बनाम
दुलहीन रामेश्वरी कुयेर और अन्य ; 10

[1948] आई. एल. आर. 1948 मद्रास 440 :
अप्पलास्वामी बनाम **सूर्यनारायणमूर्ति** । 10

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2008 की सिविल अपील सं. 6875, 6876 और 6877.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

पक्षकारों की ओर से सर्वश्री, हरिन पी. रावल, सुशील कुमार जैन, विकास सिंह, गुरु कृशन कुमार, अनुपम लाल दास, ज्येष्ठ अधिवक्तागण, निपुण सक्सेना, (सुश्री) सेरेना शर्मा, (सुश्री) सुकन्या सिंह, कार्तिकेय कन्नौजिया, सिद्धार्थ एच. रावल, विनोद दहिया, बी. के. सतीजा, पुनीत जैन, बी. के. अग्रवाल, (सुश्री) कृष्टि जैन, हर्ष जैन, (सुश्री) अंकिता गुप्ता, अभिनय देशवाल, (सुश्री) प्रतिभा जैन, प्रमोद शर्मा, (सुश्री) दीपिका कालिया, सुमित कुमार शर्मा, विशाल लक्षरी, नीरज शर्मा, अजय अग्रवाल, (सुश्री) मल्लिका जोशी, सौरभ कुमार, एस. आर. जोशी, अरिन्दम घोष, विक्रांत सिंह वैश्य, बी. के. सतीजा, यशपाल ढींगरा, एस. के. वर्मा, अर्जुन गर्ग, बुद्धि ए. रंगनाथन, प्रवीण बहादुर, अमित अग्रवाल, (सुश्री) मंजीत किरपाल, नीरज शर्मा और सुहास रत्ना जोशी, अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने दिया ।

न्या. गुप्ता – मंगत राम, ग्राम-नारनौल, राजस्थान का निवासी था । उसके चार पुत्र अर्थात् माधव प्रसाद, लाल चंद, राम चंद और उमराव लाल थे । राम चंद को ग्वालियर के श्रीगौरी मल द्वारा दत्तक लिया गया था । लाल चंद के चार पुत्र अर्थात् श्री राम, हरि राम, गोविन्द और लक्ष्मी नारायण थे । माधव प्रसाद की कोई संतान नहीं थी । इसलिए, उसने लाल चंद के पुत्र हरि राम को दत्तक लिया था । लाल चंद की भी कोई संतान नहीं थी और उसने लाल चंद के पुत्र श्रीराम को दत्तक लिया था । पक्षकारों का यह स्वीकृत पक्षकथन है कि दोनों राम चंद और लाल चंद के कुटुम्ब के साथ संबंध थे और कुटुम्ब की संपत्ति के साथ कोई संबंध नहीं थे । मंगत राम के कुटुम्ब में यह दो शाखाएं बची थीं । एक माधव प्रसाद और उसके वंशज उसके पुत्र हरि राम के माध्यम से और दूसरी शाखा उमराव लाल और उसके तीन पुत्रों अर्थात् बृज मोहन, रामेश्वर और राधा कृशन से थी । वादी भगवत शरण जिसने वाद फाइल किया था वह राधा कृशन का पुत्र और उमराव लाल का पौत्र था ।

2. उपर्युक्त तथ्य विवादित नहीं हैं । पक्षकारों ने यह भी स्वीकार किया है कि माधव प्रसाद अपने पैतृक गांव चला गया था और वाद फाइल करने के लगभग 70 वर्ष पूर्व अशोक नगर आ गया था । वाद, वर्ष 1988 में फाइल किया गया था । इस प्रकार, माधव प्रसाद लगभग वर्ष 1918 या उसके आस-पास चला गया था । यह भी विवादित नहीं है कि माधव प्रसाद ने तत्कालीन उस क्षेत्र के जमींदार के मुंशी के रूप में कार्य करना आरंभ किया था और इसके पश्चात् वह मुंशी माधव प्रसाद के रूप में जाना जाने लगा । विवाद, आधारभूत तौर पर इसके पश्चात् ही आरंभ हुआ था । वादी ने यह दावा किया है कि उसके दादा उमराव लाल भी लगभग उसी समय अशोक नगर आ गए थे और अनाज का कारबार करना आरंभ किया था । इसके पश्चात्, माधव प्रसाद ने मुंशी का कार्य छोड़ दिया और दोनों भाइयों ने एक दुकान 'मुंशी माधव प्रसाद' के नाम में स्थापित करके अनाज का कारबार आरंभ कर दिया था । वादी का पक्षकथन यह भी है कि दोनों माधव प्रसाद और उमराव लाल एक साथ रहते थे और संयुक्त तौर पर कारबार कर रहे थे और वादपत्र के पैरा 9 में वर्णित कतिपय संपत्तियों का क्रय भी किया था । छह

विभिन्न गृहों में समाविष्ट छह संपत्तियां थीं । विभिन्न गांवों में कतिपय कृषि भूमियों में समाविष्ट पैरा 9(2) पर संपत्तियां उल्लिखित हैं । वादी का पक्षकथन यह है कि ये सभी गृहें संयुक्त तौर पर माधव प्रसाद और उमराव लाल द्वारा निर्मित की गई थीं और माधव प्रसाद बड़ा भाई होने के नाते उस कुटुम्ब का कर्ता था और इस हैसियत में संयुक्त कुटुम्ब को चला रहा था । वादपत्र में यह भी अभिकथित है कि माधव प्रसाद ने कर्ता होने के नाते स्वयं अपने नाम में अभिलिखित संयुक्त कुटुम्ब की कुछ संपत्तियों का प्रबंधन करता था । यह भी अभिकथित है कि माधव प्रसाद और उमराव लाल की मृत्यु के पश्चात् हरि राम जो माधव प्रसाद का दत्तक पुत्र था (जिसकी मृत्यु वर्ष 1988 में वाद फाइल करने के समय में हो गई थी) संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का कर्ता बना था और इस हैसियत में उसने संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब की संपत्तियों में से कुछ संपत्तियों को अपने नाम में अभिलिखित कराया था ।

3. यह विवादित नहीं है कि माधव प्रसाद की मृत्यु लगभग वर्ष 1935 के आस-पास हुई थी और उमराव सिंह की मृत्यु वर्ष 1941-42 के आस-पास हुई थी और हरि राम की मृत्यु वर्ष 1978 में हुई थी ।

4. कृषि भूमियों के संबंध में, यह अभिवाक् किया गया है कि ये सभी कृषि भूमियां कुटुम्ब के संयुक्त जोत के अधीन थीं और जोत का संपूर्ण लेखा, स्व. माधव प्रसाद और उमराव लाल द्वारा रखा जाता था और उनकी मृत्यु के पश्चात् हरि राम द्वारा संपूर्ण लेखा रखा जाता था । हरि राम की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा रज्जो देवी (प्रतिवादी सं. 6) ने कुटुम्ब की ओर से खेतों का देखभाल करती थी । वादपत्र में यह भी अभिकथित है कि हरि राम ने बेनामी संव्यवहार के रूप में कृषि भूमियों में से कुछ भूमियों को अपने साले, पुत्र, दामाद और अन्य नातेदारों के नाम में अंतरित की थी जो इस तथ्य से सुस्पष्ट होता है कि हरि राम के पक्ष में इन संव्यवहारों के हिताधिकारियों द्वारा साधारण मुख्तारनामा निष्पादित किया गया था । तथापि, यह तथ्य उस कुटुम्ब की शाखा से प्रकट नहीं होता है जो उमराव लाल के वंशज हैं । आधारभूत तौर पर यह अभिकथित किया गया है कि वादपत्र के पैरा 9 में उल्लिखित सभी संपत्तियां हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब (जिसे इसमें

इसके पश्चात् संक्षेप में 'एचयूएफ' कहा गया है) की थी और इसलिए, वादी ने अपने हिस्से के अनुसार माप और सीमांकन करके विभाजन की ईप्सा की है ।

5. सुविधा के लिए वादपत्र के पैरा 18 को उद्धृत करना समुचित होगा जो इस प्रकार है :–

> "18. कि वादी और प्रतिवादी सं. 1 से 18 के कारबार, वर्ष 1954 तक प्राय: संयुक्त था । इसके पश्चात्, कारबार में हानि होने के कारण और कारबार बंदी की स्थिति में होने के कारण प्राय: सभी व्यक्तियों ने अपने-अपने पृथक् कारबार करना आरंभ कर दिया था और संयुक्त कुटुम्ब की अचल संपत्तियां अविभाजित रूप में बनी रहीं । स्व. हरि राम ने अपने जीवनकाल के दौरान वादपत्र के पैरा सं. 9(1)(सी)(डी)(ई)(एफ) में उल्लिखित गृह संपत्तियों का क्रय किया था, जो उसके हिस्से से कम होने के दायित्व के अधीन है ।"

इस वाद का प्रतिवादियों में से कुछ उन प्रतिवादियों द्वारा विरोध किया गया जो या तो हरि राम के वंशजों की पंक्ति में थे या उसके हिताधिकारी थे । अंतरण दस्तावेज उनके पक्ष में निष्पादित किए गए थे । यहां यह उल्लेख करना समुचित होगा कि उमराव लाल वंशजों से अन्य उत्तराधिकारियों में से किसी ने भी लिखित कथन फाइल नहीं किया है । विरोध करने वाले प्रतिवादियों द्वारा फाइल लिखित कथन में मुख्य आक्षेप यह उद्भूत किया गया था कि वादपत्र के पैरा 9 में उल्लिखित संपत्तियां एचयूएफ की संपत्तियां नहीं हैं और इस बात से इनकार किया गया था कि कभी भी ऐसी कोई एच यू एफ थी ।

6. प्रतिवादियों ने इस तथ्य से इनकार किया है कि 'मुंशी माधव प्रसाद' के नाम के अधीन किए जा रहे कारबार, संयुक्त कुटुम्ब के कारबार थे । इस बात से इनकार किया गया कि उमराव लाल इस कारबार का एक सदस्य था या उक्त दुकान एक संयुक्त दुकान थी । वादपत्र के पैरा 9 में उल्लिखित सभी संपत्तियों के बारे में, यह कथन किया गया है कि सभी गृहों को अकेले माधव प्रसाद द्वारा क्रय/निर्मित

की गई थी और यह कि कृषि भूमियां, हरि राम द्वारा स्वयं अपनी आय से क्रय की गई थी ।

7. प्रतिवादियों ने लिखित कथन में स्व. हरि राम के वसीयत का भी अवलंब लिया और वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा फाइल वाद के प्रति भी निर्देश किया जिसमें उन्होंने यह कथन किया था कि गृह का भाग, हरि राम ने अपने वसीयत द्वारा उन्हें वसीयत में दी थी । इसलिए, यह तर्क दिया गया कि वादी ने वसीयत के अधीन वसीयत स्वीकार करने का चुनाव किया था इसलिए, उसे अब मुकरने नहीं दिया जा सकता है और यह कथन किया कि हरि राम द्वारा वसीयत में दी गई संपत्तियों का वर्णन जो उनके द्वारा उसकी वैयक्तिक संपत्तियों के रूप में दर्शित किया गया है, सही नहीं है । यह भी अभिकथित किया गया है कि जैसा कि वादपत्र में स्वीकृत है स्वयं हरि राम द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान छह गृहों में से तीन गृहों का विक्रय किया गया था ।

8. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर, कतिपय विवाद्यक विरचित किए गए थे, किन्तु हमारे अनुसार, मात्र निम्नलिखित विवाद्यक ही सुसंगत हैं, जो निम्नलिखित उद्धृत हैं :-

> "1. क्या वादपत्र के पैरा 9 में उल्लिखित संपत्तियां दोनों पक्षकारों की संयुक्त कुटुम्ब संपत्तियां हैं या क्या प्रतिवादियों द्वारा किए गए प्रकथनों के अनुसार वे स्वयं अर्जित संपत्तियां हैं ?
>
> 2. क्या सिविल न्यायाधीश, श्रेणी II, अशोक नगर के न्यायालय में फाइल 1986 की सिविल वाद सं. 94-ए में, वाद के आधार के रूप में, वादी द्वारा उल्लिखित तारीख 6 फरवरी, 1987 की वसीयत, हरि राम द्वारा निष्पादित की गई है ?
>
> 3. यदि हां, तो क्या वादी को अकृत्य और शून्य होने के नाते उक्त वसीयत का अभिकथन करने से विबंधित है ?
>
> 4. क्या विवादित संपत्ति के संबंध में हरि राम द्वारा निष्पादित तारीख 6 फरवरी, 1987 की वसीयत अकृत्य और शून्य है ?"

विचारण न्यायालय ने इन सभी विवाद्यकों को वादी के पक्ष में विनिश्चित किया और वाद डिक्री करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि सभी संपत्तियां, संयुक्त कुटुम्ब की संपत्तियां हैं और यह कि वादी का उसमें 2.38 प्रतिशत हिस्सा है । विरोध करने वाले प्रतिवादियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की और उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित विभाजन की डिक्री को अपास्त कर दिया । वादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय ने विलंब की माफी, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLI के नियम 27 के अधीन फाइल आवेदन को खारिज कर दिया । अतएव, हमारे समक्ष यह अपील फाइल की गई ।

9. हमने, अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री सुशील कुमार जैन और उन प्रत्यर्थियों जिन्होंने अपीलार्थी का समर्थन किया था, के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री हरीन पी. रावल और विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों की ओर से श्री गुरु कृशन कुमार, श्री विकास सिंह और श्री अनुपम लाल दास विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल को सुना ।

10. आरंभ में ही, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि एचयूएफ के विशेषता और तरीके जिसमें यह गठित हो सकता है, के बारे में, बहुत सारे तर्क अग्रेषित किए गए हैं और निर्णय उद्धृत किए गए हैं । उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह मत है कि बहुत सारे इन तर्कों और उद्धरणों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है । यह सुस्थिर विधि है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो यह अभिकथन करता है कि संपत्ति, एचयूएफ की संयुक्त संपत्ति है और उसे इसे साबित करना होता है । इस एवज में, **भगवान दयाल** बनाम **रेवती देवी**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय के निर्णय के प्रति निर्देश किया जा सकता है । दोनों पक्षकारों ने इस निर्णय का अवलंब लिया है । इस मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि साधारण सिद्धांत यह है कि हिन्दू कुटुम्ब को संयुक्त कुटुम्ब होने की

---

[1] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 287.

उपधारणा की जा सकती है जब तक कि इसे प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है । यह भी अभिनिर्धारित किया था कि जहां सहदायिकों में से एक सहदायिक ने स्वयं को संयुक्त कुटुम्ब के अन्य सदस्यों से पृथक् कर लिया है वहां यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि शेष सहदायिक संयुक्त कुटुम्ब के गठन को निरंतर जारी रख सकते हैं । तथापि, यह भी अभिनिर्धारित किया था कि उसी समय पर यह उपधारणा नहीं की जा सकती थी कि क्योंकि कुटुम्ब का एक सदस्य पृथक् हो गया है इसलिए, कुटुम्ब के शेष सदस्य अब संयुक्त कुटुम्ब के रूप में नहीं रहे । तथापि, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय ने **भगवती प्रसाद साह और अन्य** बनाम **दुलहीन रामेश्वरी कुयेर और अन्य**[1] वाले मामले में, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :-

> "..... दोबारा एक होने के मामले के सिवाय, मात्र यह तथ्य कि पृथक् सहदायिकों ने एक साथ रहने या संपत्ति के बारे में कारबार या व्यापार करने के प्रयोजन से संयुक्त रूप से कार्य करने या अपने संव्यवहार करने का चुनाव किया है, उन्हें मिताक्षरा विधि के अधीन सहदायिकों की प्रास्थिति प्रदान नहीं करता है ।"

प्रिवी कौंसिल ने **अप्पलास्वामी** बनाम **सूर्यनारायणमूर्ति**[2] वाले मामले में, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :-

> "मामले के इस पहलू पर हिन्दू विधि सुस्थिर है । संयुक्त कुटुम्ब के अस्तित्व के सबूत से यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा धारित संपत्ति, संयुक्त है और सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो यह प्राख्यान करता है कि संपत्ति का कोई मद संयुक्त है, उसे इस तथ्य को साबित करना होता है । किन्तु, जहां यह सिद्ध कर दिया जाता है कि कुटुम्ब ने कुछ संयुक्त संपत्ति धारित की है जो अपनी प्रकृति और तुलनात्मक मूल्य से ऐसा केन्द्रक गठित कर सकता है जिससे प्रश्नगत संपत्ति अर्जित की गई है, सबूत का भार उस पक्षकार पर

---

[1] [1951] 2 एस. सी. आर. 603.

[2] आई. एल. आर. 1948 मद्रास 440.

स्थानांतरित हो जाता है जो उसे स्व-अर्जित होने का अभिकथन करता है, उसे सकारात्मक रूप से यह सिद्ध करना होता है कि उसने संपत्ति को संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति की सहायता के बिना अर्जित किया है ।"

पूर्वोक्त मत को इस न्यायालय द्वारा **श्रीनिवास कृष्णाराव कानगो** बनाम **नारायण देवजी कानगो और अन्य**[1] वाले मामले में, स्वीकार किया गया था । **डी. एस. लक्ष्मैया और अन्य** बनाम **एल. बालसुब्रमण्यम् और अन्य**[2] वाले मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

"इसलिए, विधिक सिद्धांत यह है कि संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के मात्र अस्तित्व में होने के कारण ही संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति होने की उपधारणा नहीं की जाती है । एक व्यक्ति जो इसका प्राख्यान करता है उसे यह साबित करना होता है कि संपत्ति, संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति है । तथापि, यदि वह व्यक्ति ऐसा प्राख्यान करता है तो उसे यह साबित करना होता है कि एक केन्द्रक है जिसके साथ संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति को अर्जित किया जा सकता था, तो वहां संपत्ति का संयुक्त होने की उपधारणा की जा सकती है और सबूत का भार उस व्यक्ति पर स्थानांतरित हो जाता है जो यह दावा करता है कि उसने ऐसी संपत्ति स्वयं अर्जित की है तो उसे यह साबित करना होता है कि उसने स्वयं अपनी निधियों से उक्त संपत्ति क्रय की है और न कि संयुक्त कुटुम्ब केन्द्रक में से जो उपलब्ध था ।"

इसी प्रकार का मत **मा. रुखमाबाई** बनाम **लाला लक्ष्मीनारायण और अन्य**[3] तथा **अप्पासाहेब पीरप्पा चम्दागड़े** बनाम **देवेन्द्र पीरप्पा चम्दागड़े**[4] वाले मामलों में अपनाया गया । इस प्रकार, यह सुस्थिर विधि है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब के

---

[1] [1955] 1 एस. सी. आर. 1.

[2] (2003) 10 एस. सी. सी. 310.

[3] [1960] 2 एस. सी. आर. 253.

[4] (2007) 1 एस. सी. सी. 521.

अस्तित्व का अभिकथन करता है जिसे उसे साबित करना होता है ।

11. साधारणतया, एक एचयूएफ मात्र कर्ता के रूप में कुटुम्ब के मुखिया सहित सभी कुटुम्ब सदस्यों से मिलकर गठित हो सकती है । कुछ संपत्ति, इस संयुक्त कुटुम्ब के लिए केन्द्रक हो सकते हैं । इस राय के बारे में मतभेद है कि क्या बड़े समूह के दो भाई संयुक्त कुटुम्ब गठित कर सकते हैं । किन्तु यह उपधारणा करते हुए कि ऐसा संयुक्त कुटुम्ब, माधव प्रसाद और उमराव लाल द्वारा गठित किया जा सकता था तो वादी पर यह साबित करने का भार है कि उनमें से दोनों ने एक साथ संयुक्त होकर एक एचयूएफ गठित किया है । इसे साबित करने के लिए उन्हें न केवल संपत्ति की संयुक्तता दर्शित करनी होगी अपितु कुटुम्ब की संयुक्तता और एक साथ रहने की संयुक्तता भी साबित करनी होगी ।

12. उपर्युक्त कथित तथ्यों से यह प्रकट होता है कि इस बारे में कोई अभिवाक् नहीं है कि मंगत राम और उसके पुत्रों ने एक एचयूएफ गठित किया था । इस बारे में कोई अभिकथन नहीं है कि इस कुटुम्ब के पास इसके केन्द्रक के रूप में कुछ संपत्ति थी । चूंकि, इस बारे में कोई अभिकथन नहीं है कि मंगत राम और उसके चार पुत्रों ने एक एचयूएफ गठित किया था, यह तथ्य कि लाल चंद स्वयं अलग रहने के लिए कुटुम्ब छोड़ दिया था, इसका किसी भी तरह से यह अभिप्राय नहीं होता है कि संयुक्त कुटुम्ब प्रास्थिति विघटित हो गई थी । संयुक्त कुटुम्ब का विघटन मात्र तभी होता है जब यदि यह अभिकथन किया जाता है कि पूर्ववर्ती में एक एचयूएफ अस्तित्व में थी ।

13. पक्षकारों की ओर से यह भी स्वीकृत पक्षकथन है कि माधव प्रसाद और उमराव लाल पृथक्-पृथक् अशोक नगर आए थे । माधव प्रसाद ने आरंभत: एक जमींदार के साथ मुंशी के रूप में कार्य करना आरंभ किया था । इसके पश्चात् प्रतिवादियों के अनुसार, माधव प्रसाद ने कारबार करना आरंभ कर दिया था जो उसका स्वयं का था किन्तु बाद में उसका भाई उमराव लाल भी उसके कारबार में जुड़ गया था । तथापि, यह दलील दी गई है कि यह कारबार, एचयूएफ का कारबार नहीं था ।

14. दूसरी ओर, वादी का पक्षकथन यह है कि यह उमराव लाल ही था जिसने कारबार आरंभ किया था और माधव प्रसाद उससे बाद में जुड़ा था किन्तु चूंकि माधव प्रसाद बड़ा भाई था, इसलिए, कारबार, माधव प्रसाद के नाम से आरंभ हुआ था । किसी भी प्रकार का दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है । साक्षी जो उपस्थित हुए थे उन सभी का जन्म उसके बाद हुआ था और उन्होंने संयुक्त कारबार के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया है । वादी भगत शरण का जन्म वर्ष 1951 में हुआ था । विरोध करने वाले प्रतिवादी सं. 4 और 8 उससे 5 वर्ष और 11 वर्ष छोटे हैं । इसलिए, इन साक्षियों का मौखिक परिसाक्ष्य किसी उपयोग का नहीं है जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा सही ही अभिनिर्धारित किया गया है ।

15. वादी ने उस बंधक विलेख का मजबूती से अवलंब लिया है जिसके द्वारा पांच गृहों को तारीख 1 दिसम्बर, 1944 और तारीख 26 नवम्बर, 1946 को सेठ बुद्धमल के पक्ष में बंधक किया गया था । यह विवादित नहीं है कि अशोक नगर में छह गृहें थीं, कुछ एकल मंजिली थीं और कुछ द्वितीय मंजिली थी जिनका वर्णन वादपत्र में किया गया है । इन गृहों में से एक गृह का उपयोग धर्मशाला के रूप में किया जाता था और शेष पांच गृहों को बंधक विलेख (प्रदर्श पी-28) द्वारा तारीख 1 दिसम्बर, 1944 को बंधक में रखा गया था । यह बंधक विलेख, हरि राम पुत्र माधव प्रसाद और बृज मोहन, रामेश्वर दास और राधा कृशन पुत्र उमराव लाल और पोपचंद तथा बाबू लाल **उर्फ** दीप चंद जो बृज मोहन के अवयस्क पुत्र थे, द्वारा अपने पिता के माध्यम से और नाथू लाल अवयस्क पुत्र हरि राम द्वारा अपने पिता के माध्यम से निष्पादित किया गया था और उन्हें फर्म मैसर्स माधव प्रसाद अग्रवाल के स्वत्वाधिकारियों के रूप में दर्शित किया गया है । बंधक विलेख में पांच गृहों का वर्णन करने के पश्चात्, यह उल्लिखित है कि ये संपत्तियां हमारे 'स्वामित्व' और 'कब्जे' में हैं । यह भी उल्लिखित है कि संपत्तियां सभी विल्लंगमों से मुक्त हैं और कोई अन्य अंशधारी नहीं है और बंधकदार के पास इनका अन्यसंक्रामण करने का पूर्ण अधिकार है । तद्नुसार, पांच गृहों को सेठ बुद्धमल के पास बंधक में रखा गया था ।

यह बंधक, कृशन राम बलदेव बैंक के ऋण को चुकाने को ध्यान में रखते हुए किया गया था जिसके पास संपत्तियां पहले से ही बंधक थीं । रकम जिसे उन्होंने संपत्ति को बंधक रखते हुए प्राप्त किया था, बैंक को अंतरित कर दी गई थी और सेठ बुद्धमल के पक्ष में नया बंधक सृजित किया गया था । बंधक विलेख के पैरा 5 में, यह उल्लिखित किया गया है कि बंधक संपत्ति, सभी विल्लंगमों से मुक्त है और 'हम उसके पूर्ण स्वामी हैं और कोई अन्य सह-दायिक या सह-अंशधारी नहीं है' । यह बंधक विलेख, बंधककर्ताओं के रूप में हरि राम, बृज मोहन, रामेश्वर लाल और राधा कृशन द्वारा हस्ताक्षरित है । इससे यह उपदर्शित होता है कि ये संपत्तियां उनके द्वारा धारित थीं ।

16. तथापि, यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि संपत्तियां, एचयूएफ से संबंधित हैं । वे संयुक्त संपत्तियां हो सकती हैं किन्तु बंधक विलेख में दिए गए विवरणों के आधार पर उन्हें संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति नहीं कहा जा सकता है । यह प्रतीत होता है कि तारीख 26 नवम्बर, 1946 के एक अन्य बंधक विलेख द्वारा बंधक संपत्तियों का मूल्य रु. 45,000/- तक बढ़ा दिया गया था और 5 गृहों के अतिरिक्त एक ऑयल मिल, पछर का भी बंधक किया गया था । सेठ बुद्धमल ने उक्त बंधक विलेख के अधीन बंधक धन का उद्ग्रहण करने के लिए हरि राम, बृज मोहन, रामेश्वर लाल, राधा कृशन और नाथू लाल इत्यादि के विरुद्ध एक वाद (प्रदर्श पी-4) फाइल किया था । वादपत्र के पैरा 6 और 8 में निम्नलिखित प्रकथन किया गया था :-

> "6. कि प्रतिवादियों ने पूर्वोक्त दस्तावेजों के निष्पादन के समय व्यापार करने के लिए एक संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब गठित की और उसके सभी वयस्क सदस्यों ने व्यक्तिगत तौर पर और अवयस्क सदस्यों ने अपनी शाखा के मुखिया के माध्यम से बंधक विलेखों के निष्पादन में प्रतिनिधित्व किया था ।
>
> 8. कि दस्तावेजों में उल्लिखित अवयस्क, अब वयस्क हो गए हैं । इसलिए, उन्हें प्रतिवादियों के रूप में व्यक्तिगत तौर पर अभिवाचित किया गया है । उनके दायित्व संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब की

संपत्ति की सीमा तक और व्यक्तिगत संव्यवहार में सीमित है । प्रतिवादी सं. 1 से 3 को व्यक्तिगत तौर पर और अपनी शाखा के मुखिया की हैसियत में प्रतिवादी के रूप में बनाए गए हैं ।"

17. पूर्वोक्त हरि राम, बृज मोहन, रामेश्वर लाल, राधा कृशन और नाथू लाल की ओर से तारीख 9 अक्तूबर, 1955 को एक लिखित कथन (प्रदर्श पी-5) भी फाइल की गई थी और बंधक विलेख के पैरा 6 और 8 के उत्तर दिए गए थे जो इस प्रकार हैं :-

"6. कि जहां तक वादपत्र के पैरा 6 का संबंध है, कोई आक्षेप नहीं है ।

8. जहां तक वादपत्र के पैरा 8 का संबंध है, उत्तर यह है कि प्रतिवादी सं. 6 अब भी अवयस्क है । उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है । यह स्वीकृत नहीं है कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 गलत होने के नाते मुखिया (कर्ता) है, न ही वे मुखिया हैं, न ही बंधक संव्यवहार ऐसी क्षमता में किए गए थे और वादी को इस तरीके से वाद करने का कोई अधिकार नहीं है ।"

पूर्ववर्ती वाद में पूर्वोक्त अभिवचनों के आधार पर यह निवेदन किया गया है कि हरि राम ने यह स्वीकार किया था कि एक संयुक्त कुटुम्ब कारबार था जब यह लिखित कथन फाइल किया गया था और इसलिए, इस बात का सबूत है कि कारबार, एक संयुक्त कुटुम्ब कारबार था और यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि इस संयुक्त कुटुम्ब की प्रास्थिति कभी भी विघटित हो गई थी ।

18. विरोध करने वाले प्रत्यर्थी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि चूंकि हरि राम के कुटुम्ब सदस्य बंधक गृह में रह रहे थे, अत्यधिक सावधानी बरतते हुए, वे बंधक विलेख पर हस्ताक्षर कर सकते थे । हमारे मत में, यह सत्य नहीं हो सकता है क्योंकि बंधक विलेख से स्पष्टत: यह प्रलक्षित होता है कि सभी कुटुम्ब सदस्यों को जिनमें अवयस्क सम्मिलित थे, बंधक होने तक संपत्तियों के स्वामी दर्शित किए गए हैं, इसलिए, यह संपत्ति जो वर्ष 1944 में बंधक रखी गई थी और उसके बाद वर्ष 1946 में पुन: बंधक रखी गई, प्रथमदृष्ट्या संयुक्त

संपत्ति होनी प्रतीत होती है, यद्यपि, इस प्रक्रम पर हम यह विनिश्चित नहीं करते हैं कि क्या संपत्ति, एक संयुक्त संपत्ति है या एचयूएफ की संपत्ति है ।

19. एक पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति मात्र साक्ष्य का एक भाग है और न कि इस बात का अनन्य सबूत है कि उसने इसमें क्या कथन किया है । इस प्रकाश में ही हम सेठ बुद्धमल द्वारा फाइल वाद में लिखित कथन फाइल करते समय हरि राम और उसके भाइयों द्वारा की गई स्वीकृति की परीक्षा करेंगे । पैरा 6 में यह प्रकथन किया गया है कि प्रतिवादियों ने व्यापार करने के लिए संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब गठित की गई है । यह सुस्पष्ट है कि स्वीकृति कुटुम्ब द्वारा व्यापार करने के संबंध में हैं और न कि एचयूएफ के संबंध में है । उपर्युक्त उद्धृत विधि को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट होता है कि न केवल कुटुम्ब की संयुक्तता साबित होती है अपितु यह साबित करने के सबूत का भार उस व्यक्ति पर अंतरित हो जाता है जो संयुक्त कुटुम्ब के अस्तित्व का अभिकथन करता है, उसे यह साबित करना होता है कि संपत्ति संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब से संबंधित है जब तक कि यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर सामग्री है कि संपत्ति संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का केन्द्रक है अथवा यह कि उक्त संपत्ति इस केन्द्रक की निधियों से क्रय की गई थी । मात्र इस कारण से कि कारबार संयुक्त है, इस बात की उपधारणा नहीं की जा सकती है कि एक संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब अस्तित्व में है । जहां तक पैरा 8 का संबंध है, हमारे मत में, यह स्पष्टत: स्वीकृति नहीं है । यह इस बारे में किया गया अभिकथन है कि अवयस्कों का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा किया गया था जो क्रमश: अपनी शाखाओं के मुखिया थे । इसके उत्तर में, यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 न तो मुखिया या कर्ता थे न ही बंधक संव्यवहार उनकी इस हैसियत में किए गए थे । इस स्वीकृति को संयुक्त कुटुम्ब होने के बारे में, सुस्पष्टत: स्वीकृति नहीं कहा जा सकता है ।

20. **नागूबाई अम्मल और अन्य** बनाम **बी. शामा राव और अन्य**[1]

---

[1] [1956] 1 एस. सी. आर. 451.

वाले मामले में, जो इस विषय पर विनिश्चयाधार है, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "एक स्वीकृति अनन्य नहीं होती है जहां तक कि यह इसमें कथित मामलों की सत्यता के बारे में है । यह मात्र साक्ष्य का एक भाग होता है जिसका उस संबद्ध के बारे में भार होता है जो उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिसके अधीन इसे किया गया है । इसे त्रुटिपूर्ण या असत्य दर्शित किया जा सकता है जहां तक कि यह उस व्यक्ति से संबंध रखता है, जिसने इसे किया है, जिसने अपने प्रकथन पर कार्य नहीं किया है जब इसे विबंधन द्वारा अनन्य होना चाहिए था ।"

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि **हिमानी एलॉव लिमिटेड** बनाम **टाटा स्टील लिमिटेड**[1] वाले मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि स्वीकृति, सुस्पष्ट होनी चाहिए, सचेतन होनी चाहिए और इसे करने वाले पक्षकार का जानबूझकर कृत्य होना चाहिए । जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है हम एक एचयूएफ के अस्तित्व के बारे में कोई स्पष्ट स्वीकृति नहीं पाते हैं । बंधक विलेख के विवरणों और लिखित कथन में किए गए प्रकथनों से यह कहा जा सकता है कि सुसंगत समय की अवधि में संपत्ति को संयुक्त संपत्ति के रूप में समझा जाता था ।

21. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों द्वारा अवलंबित कई अन्य दस्तावेज हैं । 6 गृहों में से 5 गृहें बंधक रखी गई थीं और एक गृह स्वीकृतत: धर्मशाला है । इन 5 गृहों में से 3 गृहें हरि राम द्वारा अपने जीवन काल के दौरान विक्रय कर दी गई थीं और वादी के पूर्वाधिकारियों के जीवन काल के दौरान किसी भी व्यक्ति ने संपत्तियों के विक्रय पर कोई आक्षेप नहीं किया था और विक्रय विलेखों में हरि राम को संपत्ति का एक मात्र स्वामी के रूप में वर्णित किया गया है । एक ऐसा ही विक्रय विलेख प्रदर्श डी-4 है जिसमें यह उल्लिखित है कि द्वितीय मंजिला गृह

---

[1] (2011) 15 एस. सी. सी. 273.

फर्म माधव प्रसाद अग्रवाल के व्यापार करने की संपत्ति है और यह कि हरि राम फर्म का स्वामी है और ऋण का पुन: संदाय करने के अनुक्रम में दो व्यक्तियों को गृह का विक्रय किया गया था । इस विक्रय विलेख का सेठ बुद्धमल साक्षी था । यद्यपि, विक्रय विलेख में इस प्रकार का कथन नहीं है जिससे कि यह प्रतीत होता है कि प्रतिफल की रकम सेठ बुद्धमल को संदत्त किया गया है । यह दस्तावेज तारीख 12 सितम्बर, 1967 को निष्पादित हुआ था और अन्य दो विक्रय विलेखों के साथ इसका परिशीलन करने से स्पष्टत: उपदर्शित होता है कि हरि राम ने यह दावा किया है कि वह व्यापार करने वाले फर्म माधव प्रसाद अग्रवाल के कारबार का एकमात्र स्वत्वाधिकारी है ।

22. इन विक्रय विलेखों और इनके विवरणों को वादी या उसके पूर्वाधिकारियों द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी । इससे यह उपदर्शित होता है कि संपत्ति की संयुक्तता, यदि कोई हो, कुछ कुटुम्ब व्यवस्थापन या विभाजन के कारण समाप्त हो गई थी जो पूर्ववर्ती में घटित हो सकती थी । हमने इसमें उपर्युक्त उद्धृत वादपत्र में किए गए प्रकथनों के साथ विक्रय विलेखों का परिशीलन किया है जिनमें वादी ने यह कथन किया है कि कारबार बंद हो गए थे और उसके बाद प्राय: सभी लोगों ने अपने पृथक्-पृथक् कारबार करना आरंभ कर दिया था । यद्यपि, यह प्रकथन किया गया है कि अचल संपत्तियां संयुक्त कुटुम्ब की संपत्तियां बनी रहीं, यह तथ्य कि पृथक् शाखाओं ने पृथक् रूप से कारबार करना आरंभ कर दिया था, से यह तथ्य उपदर्शित होता है कि यदि कुछ विभाजन नहीं भी हुए थे तो भी पक्षकारों के बीच औपचारिक विभाजन हुआ था ।

23. अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज हरि राम का विल (प्रदर्श पी-3) है । इस विल में हरि राम ने शेष 3 गृहों का सविस्तार वर्णन किया है और यह उल्लिखित किया है कि ये गृहें उसके पिता माधव प्रसाद द्वारा धारित थे और यह कि वह (हरि राम) अपने पिता मुंशी माधव प्रसाद अग्रवाल के नाम से कारबार कर रहा है । 6 गृहों में से 3 गृहों को हरि राम द्वारा पहले ही विक्रय कर दिया गया था और उसने शेष 3 गृहों का

कतिपय व्यक्तियों के नाम में वसीयत कर दिया था । विल के उस भाग को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा जिसमें हरि राम ने यह कथन किया है कि उसके 3 चचेरे भाई बृज मोहन, रामेश्वर लाल और राधा कृशन थे । इनमें से राधा कृशन की मृत्यु हो गई थी और उसकी विधवा और उसके तीन बच्चे जीवित थे और वे भवन सं. 2 के द्वितीय और तृतीय तल पर रहते थे । हरि राम ने अचल संपत्ति के कतिपय भागों को राधा कृशन की विधवा और उसके बच्चों को वसीयत कर दिया था । यहां यह उल्लेख करना समुचित होगा कि वादी भगवत शरण, राधा कृशन का पुत्र है । उसने भी कतिपय संपत्तियों का वसीयत अपने चचेरे भाई बृज मोहन और रामेश्वर लाल के पक्ष में कर दिया था ।

24. यह भी विवादित नहीं है कि इसमें के वादी और प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने एक अधिभोगी की बेदखली के लिए वाद फाइल किया जिसमें उसने यह दावा किया था कि संपत्ति का हरि राम द्वारा उसके पक्ष में वसीयत कर दिया है । प्रतिवादियों के अनुसार, वादी ने हरि राम के विल को स्वीकार कर लिया था और उसका फायदा भी उठा लिया था, इसलिए, उसे मुकरने नहीं दिया जा सकता है और यह तर्क दिया कि विल वैध नहीं है और यह कि संपूर्ण संपत्ति, एक संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति है । वादी और प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने विल के अधीन वसीयत को स्वीकार करते हुए, विल स्वीकार करने का चुनाव किया था । यह प्राचीन विधि है कि एक पक्षकार को एक ही समय पर स्वीकार और अस्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है । यह सिद्धांत निर्वाचन के सिद्धांत पर आधारित है । विलों के संबंध में, इस सिद्धांत का यह अभिप्राय अभिनिर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति जो विल के एक भाग का फायदा उठा लेता है तो वह विल के शेष भाग को चुनौती नहीं दे सकता है । **राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनिधान निगम और एक अन्य** बनाम **डायमंड एंड जेम विकास निगम लि. और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि एक पक्षकार को एक ही समय पर 'गर्म और ठंडा', 'सुदृढ़ और ढीला' या 'स्वीकार और

---

[1] ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1241.

अस्वीकार' होने नहीं दिया जा सकता है । जहां एक पक्षकार ने जानबूझकर संविदा या हस्तांतरणपत्र या एक आदेश के फायदों को स्वीकार कर लेता है तो वहां ऐसे संविदा यह हस्तांतरणपत्र या आदेश की उस पर प्रभावी विधि मान्यता या बाध्यता से इनकार करने से रोकने के लिए विबंधन लागू होगा ।

25. निर्वाचन के सिद्धांत का दूसरा पहलू विधि में विबंधन है । एक पक्षकार को उसी समय पर गरम और ठंडा होने नहीं दिया जा सकता है । कोई पक्षकार जो किसी लिखत का लाभ ले लेता है तो उसे उक्त दस्तावेज में उल्लिखित सभी बातों को स्वीकार करना होता है । एफ.डब्ल्यू. मैटलैंड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, 1947 द्वारा लिखित प्रसंविदा 'इक्विटी-ए, कोर्स आफ लेक्चर्स' के प्रति निर्देश करना विपरीत होगा जिसमें विद्यमान लेखक ने सूक्ष्मतापूर्वक निर्वाचन के सिद्धांत का निम्नलिखित निबंधनों में वर्णन किया है :-

> "इस प्रकार, निर्वाचन का सिद्धांत कथित किया जा सकता है : कि वह जो किसी विलेख या विल या अन्य लिखत के अधीन फायदों को स्वीकार कर लेता है उसे उस लिखत संपूर्ण अंतर्वस्तु को स्वीकार करना चाहिए, जो इसके सभी उपबंधों की पुष्टि करते हैं और उसके सभी अधिकारों का त्याग करने में उससे असंगत हैं .....।"

इस मत को **करम कपाही और अन्य** बनाम **लाल चंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य**[1] वाले मामले में सही परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया गया है । वादी ने यह दावा करते हुए कि हरि राम द्वारा उसे संपत्ति का वसीयत किया गया था, किराएदार की बेदखली के लिए वाद फाइल करते हुए हरि राम के विल को स्वीकार करने का चुनाव किया था, इसलिए, अब उसे मुकरने नहीं दिया जा सकता है और उसका यह कथन कि हरि राम द्वारा किया गया यह प्रकथन कि संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है, गलत है ।

26. जहां तक कृषि भूमियों का संबंध है, विचारण न्यायालय ने

---

[1] (2010) 4 एस. सी. सी. 753.

कृषि भूमियों के संबंध में वाद डिक्री कर दिया था, इस आधार पर कि माधव प्रसाद और उसके उमराव लाल और उनके उत्तराधिकारी एक एचयूएफ गठित करते हैं । उक्त भूमियां एचयूएफ की निधियों से क्रय की गई थीं, इसलिए, इन भूमियों को एचयूएफ की संपत्ति मानी जाएंगी, यद्यपि, वे किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रविष्ट की गई हो सकती हैं । उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और यह तथ्य कि हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि एक एचयूएफ अस्तित्व में है, इसलिए, हम विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं ।

27. अब, हम प्रत्येक कृषि संपत्ति पर पृथक्त: विचार करेंगे । वादपत्र के पैरा 9(2)(क) में वर्णित संपत्तियां पूर्ववर्ती में हरि राम के नाम में अभिलिखित थीं और बाद में, उसके पुत्रों पुरुषोत्तम और विनोद के नाम में अभिलिखित की गई थी । पैरा 9(2)(ख) में उल्लिखित संपत्ति भी हरि राम के नाम में अभिलिखित थी और उसने श्रीराम को उसके जोत का अधिकार दिया था जिसे उसका स्वामी होना कथित किया गया है । इसी प्रकार, पैरा 9(2)(ग) में वर्णित भूमि भी हरि राम के नाम में दर्शित की गई हैं और इसे अभिधृति पर काहिया लाल को दिया गया था । पैरा 9(2)(घ) में वर्णित भूमि भी हरि राम के नाम में अभिलिखित थी और इसे शिव चरण को अंतरित किया गया था और अब यह भूमि उसके विधिक उत्तराधिकारियों के नाम में है । पैरा 9(2)(ङ) में वर्णित भूमि जो हरि राम के नाम में थी, उसे भी हरि राम द्वारा वर्ष 1969 में अपनी पत्नी रज्जो देवी के नाम में अंतरित कर दिया गया था ।

28. जहां तक पैरा 9(2)(च) और 9(2)(छ) में वर्णित भूमियों का संबंध है, इन भूमियों को अशोक नगर के जमींदार से नाथू लाल पुत्र हरि राम द्वारा पट्टे पर ली गई थी । वादियों के अनुसार, ये भूमियां भी संयुक्त कुटुम्ब की भूमियां थीं किन्तु उनके बयान पर नाथू लाल के पक्ष में मंजूर पट्टा को ध्यान में रखते हुए विश्वास नहीं किया जा सकता है । यह सत्य हो सकता है कि पट्टा मंजूर करने के लिए प्रतिफल संदत्त किया गया हो सकता है किन्तु यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है कि यह संदाय, एचयूएफ की निधियों से किया गया

था । यहां यह उल्लिखित करना समुचित हो सकता है कि वादियों ने यह अभिकथन किया है कि वर्ष 1951 में नाथू लाल, अवयस्क था और रकम, हरि राम द्वारा संदत्त किया गया था । तथापि, इस संबंध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है । वस्तुतः, अभिलेख की सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि नाथू लाल की आयु उस समय पर लगभग 21 वर्ष थी । वह निश्चित तौर पर 18 वर्ष से अधिक आयु का था और इस प्रकार, वह अवयस्क नहीं था । इन भूमियों को कभी भी माधव प्रसाद या उमराव लाल द्वारा धारित (स्वामित्व) दर्शित नहीं किया गया था । यह उल्लिखित करना भी समुचित है कि भूमियों के कतिपय भाग, कतिपय अन्य व्यक्तियों को अंतरित किए गए थे और इन अंतरणों को सुसंगत समय पर वादी द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी । यह उल्लिखित करना भी समुचित होगा कि दोनों निचले न्यायालयों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वादी यह साबित करने में असफल रहे हैं कि वे कृषि भूमि की आय से कोई लाभ प्राप्त कर रहे थे । इससे यह भी उपदर्शित होता है कि उक्त भूमि, संयुक्त नहीं थी ।

29. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम, अपीलार्थियों द्वारा फाइल अपीलों में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं और इन्हें खारिज किया जाता है, खर्चे का कोई आदेश नहीं किया जाता है । तद्नुसार, लंबित आवेदन/आवेदनों, यदि कोई हों, को भी निपटाया जाता है ।

अपीलें खारिज की गईं ।

क.